

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

कमलाबाई बनाम भांजीनाल
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 67/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27.2.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सल्लेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती कमलाबाई</p> <p>पिता श्री w/o स्व. चिन्ताजी डोगी</p> <p>निवासी- ठिकरिया (झरनिआपेथ) चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम ठिकरिया (झरनिआपेथ) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 552, 553, 669, 670, 735, 747, 862, 874</p> <p>कुल कीता 8 कुल रकबा 2.69 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी मे दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम ठिकरिया (झरनिआपेथ) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 552, 553, 669, 670, 735, 747, 862, 874</p> <p>कुल कीता 8 रकबा 2.69 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नकशे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 2000 रूपये अक्षरे 6 हजार प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(धीनू देवस)</p> <p style="text-align: right;">सहायक कमिश्नर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>